(130)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. – /2011–12 निगरानी 554-I/12

रामसिंह पुत्र मदनू जाति कुशवाह निवासी
ग्राम पचैर तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना

....................आवेदक

श्री ...... शर्मा, अभि०
द्वारा आज दि. 12-3-12 को
प्रस्तुत
12-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. महिला कुन्ती पत्नी रामचरन कुशवाह निवासी ग्राम पचैर तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना
2. महिला सरबती पत्नी हरीशंकर कुशवाह पुत्री रामचरन कुशवाह निवासी ग्राम दावीपुरा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
3. म.प्र. शासन

...........अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 12/1/2012 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 196/09–10 अपील अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

12/3/12

1. यह कि आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सबलगढ़ जिला मुरैना के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत दिनांक 25/9/2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक ग्राम पचेर तहसील सबलगढ़ का स्थायी निवासी है। आवेदक अपने पूर्वजों के समय से परिवारी सदस्यों के साथ ग्राम पचेर की भूमि सर्वे क्र. 149, 150, 425, 144, 159, 173 पर शामिल सरीक निवास व खेती करता है। आवेदक के सगे चाचा रामचरन पुत्र मानिक कुशवाह के द्वारा आवेदक के हक में स्वेच्छा से एक वसीयतनामा दिनांक 18/7/2006 को उप पंजीयक कार्यालय सबलगढ़ में इस आशय का संपादित किया है कि वह अब वृद्ध हो चुके है। वह ग्राम पचेर एवं खोह तहसील सबलगढ़ में रिहायशी भवन एवं कृषि भूमि सहित चल व अचल संपत्ति के मालिक है। मैं हितग्रहीता आवेदक की सेवा सुश्रुशा से संतुष्ट हूँ। इसलिये में अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति का हितग्रहीता आवेदक के हित में उसके मालिक मान्य किये जाने हेतु संपादित करता हूँ। जो कि मृतक की प्रथम व अंतिम वसीयत है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से मृतक रामचरन की मृत्यु दिनांक 2/8/2006 में हो जाने से फौती नामांतरण किये जाने की मांग की।

2. यह कि बाद इस्तहार एवं सूचना पत्र मृतक रामचरन की पत्नी की ओर से आवेदक के आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में स्वयं

R 554/I/12 मुर्ह्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के
6.4.17	आवेदक अधि० अनुपस्थित। अन्य० को [illegible] नहीं। रिकॉर्ड संलग्न नहीं। [illegible] C.F. 16.6.17	
16.6.17	आवेदक अधि० श्री रामलखन सिंह दिनांक 26.12.13 से आज तक अनुपस्थित हो रहे हैं। आज भी तीन बार आवाज लगवाई गई। अतः प्रकरण पर कोई उप० नहीं। अतः प्रकरण में रुचि न लेने के कारण इस प्रकरण में अनुपस्थित होने की स्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [illegible]	